Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old

<u>अनुमन्डल न्यायालय-अति.मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बनमनखी,पूर्णिया बिहार</u>

समक्ष- सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

परिवाद संख्या-2437/2019/ सी.आई.एस. क्र.-2437/2019

सिरदेव यादव बनाम चंदेश्वरी यादव एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
08/ 08 /24	परिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है | सभी 8 अभियुक्त में से एक की हाजिरी है शेष 7 की ओर से दिया गया प्रतिनिधित्व आवेदन आज मात्र के लिए स्वीकृत | यह अभिलेख परिवादी की ओर से प्रस्तुत दिनांक 11/06/24 के आवेदन पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है | उक्त आवेदन को संचालित कर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया कि अभियोगी सिरदेव यादव सिधार के द्वारा यह केस लाया गया है | सूर्यनारायण यादव घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है जिस कारन से उनका साक्ष्य कराना आवश्यक है अत : निवेदन है उक्त साक्षी का नाम साक्ष्य सूचि में समाहित कर साक्ष्य कराये जाने की कृपा करे | अभियुक्त गण की ओर से प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है की उक्त साक्षी का नाम साक्ष्य सूचि में नहीं है जिस कारण से उक्त आवेदन स्वीकृत किये जाने योग्य नहीं ह है | उभयपक्ष को सुना एवम अभिलेख का अवलोकन किया | अवलोकन से प्रतीत होता है की परिवादी सिरदेव यादव के द्वारा यह परिवाद किया गया है परन्तु परिवादी के द्वारा साक्ष्य सूचि में उक्त साक्षी का नाम अंकित नहीं किया गया है न ही जाँच के क्रम में उक्त साक्षी को परीक्षित कराया गया है और न ही परिवादी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में ही उक्त साक्षी को घटना के समय उपस्थित होना वर्णित किया है जिससे प्रतीत होता है की परिवादी के द्वारा यह आवेदन अनुचित विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से लाया गया है जिस कारन से परिवादी का यह आवेदन विधि के अंतर्गत पोषणीय न होने से ख़ारिज किया जाता है |अभिलेख दिनांक 27/08 /24 को परिवादी साक्ष्य हेतु नियत | लेखापित- ए.सी.जे.एम.बनमनखी	